न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 32/2013 **दायरा दिनांक : 08.02.2013**

उनवान

रणजीत सिंह आत्मज गुलाब सिंह, जाति राजपूत, निवासी सिंघानिया, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

.... अपीलांटगण

बनाम

1– गुमान सिंह आत्मज मन्ना सिंह, जाति राजपूत, निवासी सिंघानिया, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

2– अमर सिंह आत्मज मन्ना सिंह, जाति राजपूत, निवासी सिंघानिया, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

3– शैतान बाई पुत्री मन्ना सिंह, जाति राजपूत, निवासी सिंघानिया, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

4– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार झालरापाटन जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – अभिभाषक पूरी लाल राठौर अपीलांट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 15.07.2022**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़ के प्रकरण संख्या 540/200 निर्णय दिनांक 10.03.2010 की फाईनल डिक्री दिनांक 01.06.2010 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता

रमेश बहादुर सिंह माल
स्टेनो (पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलार्थी द्वारा रेस्पोडेंट प्रत्यर्थी के नाम दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 के तहत पेश कर कथन किया कि ग्राम सिंघानिया, तहसील झालरापाटन के जमाबंदी सम्वत 2062–2065 के खाता संख्या 24/28 की वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 646/283 शेष रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा आराजी स्थित है। वर्तमान खसरा नम्बर 646/283 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा में वादी का 1/4 हक व हिस्सा निहित है तद्नुसार अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी आराजी का बंटवारा किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 10.03.2010 को वाद प्रारम्भिक डिक्री किया गया। इसके उपरान्त बंटवारा प्रस्ताव मंगवाया गया व बंटवारा प्रस्ताव के अनुसरण में दिनांक 01.06.2010 को अंतिम डिक्री पारित की, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांर्थी द्वारा यह अपील पेश की गई। अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय की डिक्री विधि विरूद्ध एवं पत्रावली संग्रहसार के विपरीत है। वादगस्त आराजी झालावाड़ भवानीमण्डी मार्ग तथा झालावाड़ थर्मल से सिंघानिया मार्ग पर स्थित है तद्नुसार बंटवारा रोड़ सीमा पर सभी खातेदारान को बराबर बराबर हक व हिस्सा होना न्याय की मंशा थी, किन्तु बंटवारा स्कीम में ऐसा नहीं किया गया साथ ही अपीलार्थी को आधा बिस्वा आराजी भी कम दी गई। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व मण्डल के द्वारा निर्धारण बंटवारे के नियम 18 से 21 की पालना भी नहीं की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निर्णय दिनांक 10.03.2010 की फाईनल डिक्री दिनांक 01.06.2010 अपास्त किया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 16.01.2013 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. द्व.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया और अपने पक्ष के समर्थन में आर आर टी 2017 (1) पेज 689 से 698 पेश की जो शामिल पत्रावली की गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहन अध्ययन किया एवं प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों, सबूतों का भली भांति अध्ययन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है। जिसमें हम हस्तक्षेप करना उचित समझते हैं। अतः अपील अपीलांट रिमाण्ड किये जाने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.03.2010 की फाईनल डिकी दिनांक 01.06.2010 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवायी एवं साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान करें एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना कर प्रकरण में नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 17.10.2022 को उपस्थित होवे।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

15/7/2022

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

टंकणकर्ता

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू. प्रबन्ध अधिकारी, कोटा